



दूरभाष-07752-220564 /Fax:
220563 E-mail :
comm.hilasnur@nic.in

कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक /1209/स्थापना/2026

बिलासपुर, दिनांक 18 मई 2026

अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर का पद रिक्त होने के कारण पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश 262/स्थापना/2025 दिनांक 20/01/2025 को निरस्त करते हुए प्रकरणों की सुनवाई, निवर्तन एवं कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन के लिए आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा :-

क्र.	नाम एवं पदनाम	सुनवाई का क्षेत्राधिकार
01.	श्री सुनील जैन (आई.ए.एस.) आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	<ol style="list-style-type: none">जिला:- बिलासपुर, जांजगीर-चांपा रायगढ़, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं सक्ती के जिला कलेक्टर्स के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रकरण।जिला स्तरीय ओव्हर साईट कमेटी.राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास और उन्नयन के लिए भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न मध्यस्थता के आर्बिट्रेटर।स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) के समस्त प्रकरण।अन्य समस्त कार्य जो इस आदेश में वंटित नहीं किये जा सके हैं।छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के समस्त प्रकरण।प्रशासनिक कार्य:-<ol style="list-style-type: none">इण्डस्ट्रियल कारीडोर के प्रकरणों में कार्यवाही.सी.एस.आर.स्वच्छ भारत अभियान.नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन से संबंधित प्रकरण।धान खरीदी का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण.कौशल विकास संबंधी कार्यवाही.नजूल प्रकरणों के नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही.विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण.स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण पत्र) के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी.


		<p>X. रेल्वे कारिडोर-मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996.</p> <p>XI. नियमितीकरण-नगर निवेश बिलासपुर संभाग.</p> <p>XII. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट याचिकाओं के प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना एवं जवाबदावा प्रस्तुत कराने के प्रकरण पर कार्यवाही.</p> <p>8. उपरोक्त प्रशासनिक कार्यों से संबंधित नस्तियां प्रभारी अधिकारी के माध्यम से संभागायुक्त को प्रस्तुत किए जायेंगे।</p>
--	--	--

(02) (अ) आयुक्त के द्वारा प्रकरणों की सुनवाई सामान्यतः माह के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को किया जावेगा।

(ब) आयुक्त द्वारा जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के उपरोक्त वर्णित जिला कलेक्टर्स के प्रकरणों की सुनवाई माह के तृतीय शुक्रवार को न्यायालय आयुक्त, कैम्प कोर्ट रायगढ़ में किया जावेगा।

(03) अन्य अनुज्ञात परिस्थितियों में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में आयुक्त के द्वारा तदनुसार निर्णय किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा


(सुनील जैन)
I.A.S.

आयुक्त
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 18 मई 2026

पृ.क्रमांक /1210/स्थापना /2026

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य सचिव महोदय, के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासनविभाग, मंत्रालय, महानदीभवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सूचनार्थ।
6. कलेक्टर, बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/कोरबा/रायगढ़/मुंगेली/गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/सारंगढ़-बिलाईगढ़/सक्ती को सूचनार्थ।
7. अपर कलेक्टर
बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/कोरबा/रायगढ़/मुंगेली/गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/

सारंगढ़-बिलाईगढ़/सक्ती को सूचनार्थ।

8. उपायुक्त राजस्व/विकास बिलासपुर संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ।
9. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन संघ बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/कोरबा/रायगढ़/मुंगेली/
10. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/सक्ती/सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
11. संभागीय, जनसंपर्क अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ। संभाग के सभी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
12. अधीक्षक/वाचक आयुक्त/वाचक अपर आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त

बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)